

नियम 66 : ऐसे व्यक्ति से, जिससे स्रोत पर कर की कटौती करने की अपेक्षा है, द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति

- (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस नियम में कटौतीकर्ता कहा गया है) **प्ररूप जीएसटीआर-7**¹ [कैलेण्डर मास के उत्तरवर्ती मास के दसवें दिन या उससे पहले] में इलैक्ट्रानिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से विवरणी प्रस्तुत करेगा।
- (2) उपनियम (1) के अधीन कटौतीकर्ता द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों को इलैक्ट्रानिकी रूप में ²[प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसकी कटौती की गई है, सामान्य पोर्टल पर] **प्ररूप जीएसटीआर-7** फाइल करने ³[.....] के पश्चात् ⁴[विधिमान्यकरण के पश्चात् उसके इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में से कटौती की गई कर की रकम का दावा करने के लिए] उपलब्ध कराया जाएगा।
- (3) धारा 51 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र को, **प्ररूप जीएसटीआर-7क** के सामान्य पोर्टल द्वारा उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी के आधार पर इलैक्ट्रानिकी रूप में जिसकी कटौती की गई है को उपलब्ध कराया जाएगा।

¹ अधिसूचना क्रमांक 20/2024-केन्द्रीय कर, दिनांक 08.10.2024 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.11.2024)।

² अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा "प्ररूप जीएसटीआर-2 के भाग ग में प्रत्येक प्रदायकर्ता को और सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटीआर-4क में**" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)। अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण में हुए संशोधन में अंतर है।

³ अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा शब्द "की सम्यक तारीख" विलोपित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

⁴ अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)। सीजीएसटी (चौथा संशोधन) नियम, 2019 द्वारा संशोधन उचित स्थान पर नहीं किए गए हैं।